ग्राम पंचायत राजल चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176001 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत राजल चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री शकीन सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री जीवन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री जसबिन्द्र सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत राजल चकबन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4 (ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.004
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.11
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.10
4	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	0.30
5	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	4.39
6	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	3.29
7	9.1	वी.के.वी.वाई.एन से निर्माण कार्य के लिये गलत गणना द्वारा सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.11
8	9.2	व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.10
9	9.3	मनरेगा अनुदान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.23

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत राजल चकबन का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4.1	निर्णीत	उक्त अवधि की रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेषो में शून्य अंतर के दृष्टिगत
3.	5.1,5.2 5.3	अनिर्णीत	—
4.	6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
5	7	अनिर्णीत	—
6	8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
7	9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
8	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
9	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत राजल चकबन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.04.2024 से 27.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	05/2022
2023—24	03/2024	06/2023

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/172 दिनांक 27.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/155 दिनांकः 20.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** पर दिया गया हैः—

1.स्व—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	973467.09	306907.00	1280374.09	411338.00	869036.09
2023-24	869036.09	358892.00	1227928.09	338452.00	889476.09

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1767168.88	5231183.40	6998352.28	5178718.70	1819633.58
2023-24	1819633.58	4081505.00	5901138.58	4590571.00	1310567.58

कुल योग (1+2) 889476.09 +1310567.58=**2200043.67**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹22,00,043.67** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹21,99,655.67 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित	का•के•सह•बैंक कॉंगड़ा	20033029444	889893.09
2	वी.के.वी.एन.वाई	कैनरा बैंक नंदरूल	4607101001160	144605
3	एम•पी•लेड	कैनरा बैंक नंदरूल	4607101001161	61236
4	14वॉं वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक कॉंगड़ा	50100236631580	0
5	15वॉं वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक कॉंगड़ा	50100358467380	1103736.58
6	हस्तगत शेष			185
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः—				₹2199655.67
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः—				₹2200043.67
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः—				₹2199655.67
अन्तरः—				₹388

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.004 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत राजल चकबन द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹388/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/165 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांकः 27.04.2024 अवगत करवाया दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो

सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.वी.के.वी.एन. वाई	06/ 06.06.2023	65597/ 02.08.2023	निर्माण कुल्ह नजदीक विशाल के घर एस.सी बस्ती	98000
2वी.के.वी.एन. वाई	07/ 06.06.2023	65598/ 02.08.2023	निर्माण रास्ता रिटेनिंग वॉल के रोड शुभकरण के घर से मीरा के घर तक वार्ड–3	39200
3.15वां वित	06/ 01.06.2023	65545/ 05.06.2023	निर्माण डेन स्वरूप सिंह,हंस राज की जमीन में वार्ड–6	18032
4 15वां वित	01/ 01.06.2023	65550/ 05.06.2023	निर्माण शौचाल्य नजदीक उचित मूल्य दुकान वार्ड–3	20384

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांक: 27.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है व अंकेक्षण अवधि की खाता बहियो को भी तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ड.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा।

इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत राजल चकबन द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी.एन. वाई,एम.पी.लेड इत्यादि की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, पांचवा वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध खाता संख्या 20033029444 में ही प्राप्त अनुदानो को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः 27.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निवेश बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव

उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹9,73,467 से ₹8,89,893 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः–27.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹13.11 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/155 दिनांकः–20.04.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]1 व

[redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1310567.58 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	145595
2.	एम.पी.लेड	31.03.2024	61236
3.	15वॉं वित्तायोग	31.03.2024	1103736.58
		कुल जोड	**1310567.58**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/166 दिनांकः 23.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.10 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/155 दिनांकः 20/04/2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में ₹10200/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/167 दिनांकः—24.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी नियमित वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर सम्पत्तिकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/167 दिनांकः–24.04.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः सम्पत्तिकर/गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90

दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 07 विवाह पंजीकृत किये गये थे जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹2400 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/167 दिनांकः 24.04.2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत राजल चकबन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.4 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत राजल चकबन द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि
1.	2022—23	4000
2	2023—24	1200
	जोड़	**5200**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/167 दिनांक: 24.04.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत राजल चकबन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.30 लाख के स्टॉक का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत राजल चकबन के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"6"** में दिए गए विवरणानुसार ₹29,959/— का व्यय निविदा सम्बन्धी

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/168 दिनांकः 26.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः कृत व्यय हेतु नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारणों से अवगत करवाते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹4.39 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत राजल चकबन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹4,38,852/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/169 दिनांकः–26.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024

द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹3.29 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹3,28,803/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/170 दिनांकः–27.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से सम्बन्धित एम फॉर्म को ले लिया जाएगा। उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री

की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण बारे सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81"खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति, नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 वी.के.वी.वाई.एन से निर्माण कार्य के लिये गलत गणना द्वारा सामग्री खरीद हेतु ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना:–

1. निर्माण कार्य शमशानघाट शैड बटलाडू वार्ड 6 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 33146 के पृष्ठ संख्या 4 व 5 में करवाये गये निर्माण कार्य हेतु, खपत की गई सामग्री हेतु किये गये कार्य का मूल्यांकन गलत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 29 सीमेंट बैग की अधिक खपत निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई थी :–

मद.सं.	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	खपत योग्य सामग्री	खपत की गई सामग्री	अंतर	दर	राशि
3.	P/L(1:5:10)	27.83	41Bag	70Bag	29	392	11368

1. Item- P/L(1:5:10)-Assessment Qty.(Worng Calculation)taken as per MB =27.83Cum
Actual Assessment =16.58 Cum
Difference(Excess Taken) =11.25 Cum
P/L(1:5:10):-11.25 Cum X 2.60(Cement Factor)=29.25 or say 29 Bag Excess

अतः सीमेंट की दर्शाई अधिक खपत के कारण ग्राम पंचायत द्वारा ₹11368 का अधिक भुगतान किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः 27.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जाएगी तथा सम्बन्धित शीर्ष के खाते मे जमा करवा दिया जाएगा। दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गये व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या– SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 , Dated:-25-05-2022 के अनुसार The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula:–Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार करवाये गये कार्यो में उक्त नियमानुसार भुगतान न करके ₹10660 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर स0/दि0	बिल सं0/ दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1मनरेगा	निल/ 17.05.2022	40/10. 03.2022	नि0सुरक्षा दीवार रवि कुमार की जमीन में	42292 (25375+25375X 2/3)	47987	5695
2मनरेगा	निल/ 17.05.2022	39/10. 03.2022	नि0 सुरक्षा दीवार मदन लाल की जमीन में	42968 (25781+25781X 2/3)	47933	4965
					कुल	**10660**

उक्त मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः 27.04.2024 द्वारा पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यो हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित उक्त कार्यो की अदायगी बिल अनुसार न करके Secure Software द्वारा अदायगी की गई जिसके कारण अधिक भुगतान हुआ। प्रस्तुत प्रतिउतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अधिक किये गये भुगतान को समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाना सुनिशिचत किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

1. निर्माण वाटर टैंक मनोहर लाल स्पुत्र बाबु राम की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 17786 के पृष्ठ संख्या 22 व 23 में निर्माण सामग्री सरिया का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 183 दिनांक 23.08.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री सरिया 137.9kg का क्रय किया गया था तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खपत दर्शाने के कारण निम्न तालिकानुसार ₹2838 का अधिक भुगतान किया गया था:—

2. निर्माण वाटर कोर्स हरनाम लाल की जमीन से राय सिंह की जमीन तक की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 17786 के पृष्ठ संख्या 82 व 83 में निर्माण सामग्री बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 36 दिनांक 15.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 34.18 Cum^3 (25.19,20mm+8.99,10mm) का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। खपत की मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण निम्न तालिकानुसार ₹8859 का अधिक भुगतान किया गया था:—

3. निर्माण वाटर कोर्स मनोहर लाल से बेली राम के घर तक की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 17786 के पृष्ठ संख्या 70 व 71 में निर्माण सामग्री बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 37 दिनांक 15.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 35.20Cum का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खप्त के रूप में दर्शाया गया था।

परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खपत दर्शाने के कारण निम्न तालिका अनुसार ₹5366 का अधिक भुगतान किया गया था:—

4. निर्माण सुरक्षा दीवार देश राज,संजीव व जोगिन्द्र सिंह की जमीन की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 17786 के पृष्ठ संख्या 78 व 79 में निर्माण सामग्री बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 32 दिनांक 15.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 29.16 Cum^3 (8.42Cum3,20mm+20.74,40mm) का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। खपत की मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण निम्न तालिकानुसार ₹3043 का अधिक भुगतान किया गया था:—

5. निर्माण चैक डैम राकेश विजय वार्ड—2 की जमीन की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 17786 के पृष्ठ संख्या 76 व 77 में निर्माण सामग्री बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 31 दिनांक 15.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 30.39 Cum^3 (40mm) का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खप्त के रूप में दर्शाया गया था। खपत की मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण निम्न तालिकानुसार ₹3057 का अधिक भुगतान किया गया था:—

क्र0 सं0	अनुदान शीर्ष	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई दर्शाई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
1.	मनरेगा	सरिया	137.9Kg	94kg	44kg	64.5	2838
2.	मनरेगा	बजरी बजरी	25.19 Cum (20mm) 08.99 Cum (10mm)	19.07 Cum (20mm) 08.17 Cum (10mm)	6.12Cum 0.82CuM	1276 1281	7809 1050
3.	मनरेगा	बजरी	35.20 Cum	30.18 Cum	5.02Cum	1069	5366.38
4.	मनरेगा	बजरी बजरी	20.74 Cum (40mm) 08.42 Cum (20mm)	18.49 Cum (40mm) 07.92 Cum (20mm)	2.25Cum 0.50CuM	1069 1276	2405 638
5	मनरेगा	बजरी	30.39 Cum (40mm)	27.53 Cum (40mm)	2.86Cum	1069	3057
					जोड़		**23163.38**

वास्तविक सरिया की खप्त योग्य सामागी का विवरण :–

1. Item- Providing for steel -0.99 Cum X 90kg(Sariya Factor)+ 5%(Variations)=93.55kg or say 94kg

वास्तविक बजरी खप्त योग्य सामागी का विवरण :–

2 Item- P/L(1:3:6) =27.60 Cum X 0.94(Agg. Factor) 5%(Variations) =27.24 Cum
3 Item- P/L(1:3:6) =32.30 CumX 0.89(Agg. Factor)+5%(Variations) =30.18 Cum
4 Item- P/L(1:5:10) =28.26 CumX 0.89(Agg. Factor)+5%(Variations)=26.41Cum
5 Item- P/L(1:3:6) =27.90 CumX 0.94(Agg. Factor)+5%(Variations)=27.53 Cum

इन अनियमितताओं बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः 27.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यो हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित उक्त कार्यो की अदायगी बिल अनुसार न करके Secure Software द्वारा अदायगी की गई जिसके कारण अधिक भुगतान हुआ। प्रतिउतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यों एवं आंकड़ों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹5.29 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹5,28,859/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानो की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः 27.04.2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत राजल चकबन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः– उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के मनरेगा व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित है।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "4(घ)" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच; मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. निर्माण कार्यों के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/171 दिनांकः 27.04.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत राजल चकबन को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/155 दिनांकः 20.04.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के

दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	मांग व संग्रह रजिस्टर	10	33
13	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/155 दिनांकः 20.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत राजल चकबन द्वारा नहीं किया गया था, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत राजल चकबन के चयनित मास व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

19 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3487 – 3491 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)246/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत राजल चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1 (क))

FINANCIAL POSITION OF GP RAJAL CHAKWAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	973467.09	306907.00	1280374.09	411338.00	869036.09
2023-24	869036.09	358892.00	1227928.09	338452.00	889476.09

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1767168.88	5231183.40	6998352.28	5178718.70	1819633.58
2023-24	1819633.58	4081505.00	5901138.58	4590571.00	1310567.58

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या - 6.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP RAJAL CHAKWAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	75395.00	100287.00	175682.00	68637.00	107045.00
		2023-24	107045.00	873885.00	980930.00	835335.00	145595.00
2	MPLAD	2022-23	57797.00	1695.00	59492.00	0.00	59492.00
		2023-24	59492.00	1744.00	61236.00	0.00	61236.00
3	14TH FC	2022-23	1373.00	0.00	1373.00	1373.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	15TH FC	2022-23	1632603.88	1274802.40	2907406.28	1254309.70	1653096.58
		2023-24	1653096.58	663897.00	2316993.58	1213257.00	1103736.58
5	MNREGA	2022-23	0.00	3854399.00	3854399.00	3854399.00	0.00
		2023-24	0.00	2541979.00	2541979.00	2541979.00	0.00

-29-

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या– "41" के संदर्भ में)
(ख)

कार्यालय ग्राम पंचायत राजल चकबन विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत राजल चकबन के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक काँगड़ा	20033029444	973467.09	889893.09
2	वी.के.वी.एन.वाई	कैनरा बैंक नंदरूल	4607101001160	75395	144605
3	एम•पी•लेड	कैनरा बैंक नंदरूल	4607101001161	57797	61236
4	14वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100236631580	1373	0
5	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100358467380	1356912.58	1103736.58
	हस्तगत शेष			947	185
			कुल जोड.	**2465891.67**	**2199655.67**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rajal
Dev. Block Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या– "71" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत राजल चकबन विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 506 तथा 2023–24 में 506 परिवारों का रु 50/– व 100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	2200	506	50	25300	27500	22800	4700
2023-24	4700	506	100	50600	55300	45100	10200
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹10200/– है।						

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rajal
Dev. Block Kangra (H.P.)

(परिशिष्ट "5" पैरा संख्या "7·3" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत राजल चकबन, विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176001

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष विवाह शुल्क

क्र० सं०	नाम	विवाह शुल्क रजि0पृ0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	राजेश कुमार	36	26.04.2022	निल	400	0	400
2	अनुप कुमार	36	02.12.2022	निल	400	0	400
3	अविनाश	36	25.01.2023	07.02.2023	200	0	200
4	गौरव	37	10.03.2023	27.04.2023	400	0	400
5	कुलदीप सिंह	38	20.10.2023	30.11.2023	400	0	400
6	अमित सिंह	38	10.10.2023	निल	400	200	200
7	कपिल कुमार	39	30.01.2024	19.03.2024	400	0	400
				कुल	₹ 2,600.00	₹ 200.00	₹ 2,400.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rajal
Dev. Block Kangra (H.P.)

32

परिशिष्ट–"6" (पैरा संख्या – 8.1, 8.2)

ग्राम पंचायत राजल चकबन विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	35/10/11/2021	M/S Sarvjit Singh Rajal Kangra	3.46Cum3	1500	5190	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			7.25Cum3	1450	10512	
2.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	40/10.03.2022	do	1.3Cum3	1500	1950	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			14.25Cum3	1450	20662	
3.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	39/10.03.2022	do	4.59Cum3	1500	6885	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			8.19Cum3	1450	11876	
4.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	50/10.03.2023	M/S Sarvjit Singh Rajal Kangra	51.5msq2	90	4635	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	47/10.03.2023	do	39.50msq2	90	3555	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
6.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	45/10.03.2023	do	59.80msq2	25	1495	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	42/10.03.2023	do	42msq2	25	1050	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
8.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	46/10.03.2023	do	50msq2	25	1250	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
9.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	37/10.03.2023	do	44.4msq2	25	1110	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	22/14.09.2021	do	55.60msq2	25	1390	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
11.MNREGA	Nil/17.05.2022	Shuttering	34/10.11.2021	do	34.70msq2	90	3123	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
12.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	30/10.11.2021	do	9.60Cum3	1500	14400	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			4.53Cum3	1450	6569	
13.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	21/14.09.2022	do	11.20Cum3	1500	16800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			22.4Cum3	1450	32480	
		Stone			63.22Cum3	1100	69542	
14.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	29/10.11.2021	do	10.35Cum3	1500	15525	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			21.10Cum3	1450	30595	
		Stone			30.00Cum3	1000	30000	
15.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	33/10.11.2021	do	14.01Cum3	1500	21015	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			30.03Cum3	1450	43544	
16.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	31/10.11.2021	do	10Cum3	1500	15000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			6.90Cum3	1450	10005	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rajal
Dev. Block Kangra (H.P.)

17.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	32/10.11.2021	do	10.28Cum3	1500	15420	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			20.57Cum3	1450	29827	
		Shuttering			38.4sq2m	90	3456	
18.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	10/10.03.2022	do	4.70Cum3	1500	7050	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			9.40Cum3	1450	13630	
		Stone			1.48Cum3	1000	1480	
19.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sariya	183/23.08.2021	M/S Avni Hardware Store Rajal	137.9kg	64.5	8894.55	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						G/Total	**459915.55**	

नोट:-1 क्रम संख्या:- 4 से 11, 17 व 19 की और चारजकताये पूर्ण नहीं की गई है।
2. क्रम संख्या:- 1 से 3, 12 से 19 की स्टॉक प्रविष्टिया अभिलेख में प्रस्तुत नहीं की गई है।

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rajal
Dev. Block Kangra (H.P.)

परिशिष्ट-I (पैरा संख्या-8.3)

ग्राम पंचायत राजल चकबन, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per	Due Royality
			1.MNREGA					
M/s Sarvjit Singh Rajal Kangra	Nil/17.05.2022	35/10.11.2021	Sand	3.460	1.62	5.605	80	448.42
			Bajri	7.250	1.52	11.020	80	881.60
do	Nil/17.05.2022	40/10.03.2022	Sand	1.300	1.62	2.106	80	168.48
			Bajri	14.250	1.52	21.660	80	1732.80
do	nil/17.05.2022		Sand	4.590	1.62	7.436	80	594.86
			Bajri	8.190	1.52	12.449	80	995.90
do	nil/15.05.2022	51/25.03.2022	Sand	21.000	1.62	34.020	80	2721.60
			Bajri	42.000	1.52	63.840	80	5107.20
do	nil/17.05.2022	38/10.03.2022	Bajri	15.460	1.52	23.499	80	1879.94
do	nil/17.05.2022	44/10.03.2022	Sand	10.700	1.62	17.334	80	1386.72
			Bajri	21.420	1.52	32.558	80	2604.67
			Stone	42.200	2.24	94.528	80	7562.24
do	nil/17.05.2022	43/10.03.2022	Sand	10.800	1.62	17.496	80	1399.68
			Bajri	21.500	1.52	32.680	80	2614.40
			Stone	48.750	2.24	109.200	80	8736.00
do	nil/17.05.2022	48/10.03.2022	Sand	4.260	1.62	6.901	80	552.10
			Bajri	15.300	1.52	23.256	80	1860.48
do	nil/17.05.2022	50/10.03.2022	Sand	16.920	1.62	27.410	80	2192.83
			Bajri	33.900	1.52	51.528	80	4122.24
do	nil/17.05.2022	49/10.03.2022	Sand	24.000	1.62	38.880	80	3110.40
			Bajri	51.000	1.52	77.52	80	6201.60
do	nil/17.05.2022	47/10.03.2022	Sand	16.750	1.62	27.135	80	2170.80
			Bajri	33.500	1.52	50.92	80	4073.60
do	nil/17.05.2022	45/10.03.2022	Sand	10.900	1.62	17.658	80	1412.64
			Bajri	21.750	1.52	33.06	80	2644.80
			Stone	46.500	2.24	104.160	80	8332.80
do	nil/17.05.2022	42/10.03.2022	Sand	10.700	1.62	17.334	80	1386.72
			Bajri	21.400	1.52	32.528	80	2602.24
			Stone	42.200	2.24	94.528	80	7562.24
do	nil/17.05.2022	46/10.03.2022	Sand	11.100	1.62	17.982	80	1438.56
			Bajri	22.200	1.52	33.744	80	2699.52
			Stone	37.400	2.24	83.776	80	6702.08
do	nil/17.05.2022	37/25.03.2022	Sand	14.230	1.62	23.053	80	1844.21
			Bajri	7.830	1.52	11.9016	80	952.13
do	nil/17.05.2022	22/14.09.2021	Sand	11.330	1.62	18.355	80	1468.37
			Bajri	22.260	1.52	33.835	80	2706.82
			Stone	55.000	2.24	123.200	80	9856.00
do	nil/17.05.2022	34/10.11.2021	Sand	11.220	1.62	18.176	80	1454.11
			Bajri	22.460	1.52	34.1392	80	2731.14
do	nil/17.05.2022	30/10.11.2021	Sand	9.600	1.62	15.552	80	1244.16
			Bajri	4.530	1.52	6.8856	80	550.85
	nil/17.05.20	21/14.09.2	Sand	11.200	1.62	18.144	80	1451.52

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rajal

do	nil/17.05.2022	21/14.05.2022	Bajri	22.400	1.52	34.048	80	27[illegible]3.84
			Stone	63.220	2.24	141.613	80	11329.02
do	nil/17.05.2022	29/10.11.2021	Sand	10.350	1.62	16.767	80	1341.36
			Bajri	21.100	1.52	32.072	80	2565.76
			Stone	30.000	2.24	67.200	80	5376.00
do	nil/17.05.2022	30/10.11.2021	Sand	14.010	1.62	22.696	80	1815.70
do	nil/17.05.2022	31/10.11.2021	Bajri	30.030	1.52	45.6456	80	3651.65
			Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
do	nil/17.05.2022	32/10.11.2021	Bajri	6.900	1.52	10.488	80	839.04
			Sand	10.280	1.62	16.654	80	1332.29
do	nil/17.05.2022	41/10.03.2022	Bajri	20.570	1.52	31.266	80	2501.31
			Sand	4.700	1.62	7.614	80	609.12
			Bajri	9.400	1.52	14.288	80	1143.04
do	Nil/23.06.2023	38/15.03.2023	Stone	1.480	2.24	3.315	80	265.22
			Sand	14.930	1.62	24.187	80	1934.93
			Bajri	22.610	1.52	34.367	80	2749.38
do	Nil/23.06.2023	39/15.03.2023	Stone	41.220	2.24	92.333	80	7386.62
			Sand	15.010	1.62	24.316	80	1945.30
			Bajri	22.610	1.52	34.367	80	2749.38
do	Nil/23.06.2023	34/15.03.2023	Stone	40.880	2.24	91.571	80	7325.70
			Sand	15.010	1.62	24.316	80	1945.30
			Bajri	22.610	1.52	34.367	80	2749.38
do	Nil/23.06.2023	33/15.03.2023	Stone	47.340	2.24	106.042	80	8483.33
			Sand	17.830	1.62	28.885	80	2310.77
			Bajri	27.300	1.52	41.496	80	3319.68
do	Nil/23.06.2023	33/15.03.2023	Stone	10.500	2.24	23.520	80	1881.60
			Sand	11.010	1.62	17.836	80	1426.90
			Bajri	16.580	1.52	25.202	80	2016.13
do	Nil/23.06.2023	36/15.03.2023	Stone	47.700	2.24	106.848	80	8547.84
			Sand	16.570	1.62	26.843	80	2147.47
			Bajri	25.190	1.52	38.289	80	3063.10
do	Nil/23.06.2023	37/15.03.2023	Stone	13.060	2.24	29.254	80	2340.35
			Sand	19.090	1.62	30.926	80	2474.06
			Bajri	35.200	1.52	53.504	80	4280.32
do	Nil/23.06.2023	32/15.03.2023	Sand	16.490	1.62	26.714	80	2137.10
			Bajri	29.160	1.52	44.323	80	3545.86
do	Nil/23.06.2023	31/15.03.2023	Sand	13.980	1.62	22.648	80	1811.81
			Bajri	30.390	1.52	46.193	80	3695.42
do	Nil/23.06.2023	40/15.03.2023	Sand	15.010	1.62	24.316	80	1945.30
			Bajri	22.610	1.52	34.367	80	2749.38
			Stone	36.670	2.24	82.141	80	6571.26
do	Nil/23.06.2023	43/15.03.2023	Sand	16.810	1.62	27.232	80	2178.58
			Bajri	29.080	1.52	44.202	80	3536.13
do	Nil/23.06.2023	42/15.03.2023	Sand	5.150	1.62	8.343	80	667.44
			Bajri	4.880	1.52	7.418	80	593.41
do	Nil/23.06.2023	29/10.03.2022	Stone	20.000	2.24	44.800	80	3584.00
							Total	**263042.00**
							25% Penalty	**65760.50**
							G.Total	**328802.50**